

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
83 / 2025

दायर दिनांक
12.05.2025

निर्णय दिनांक
30.10.2025

अनवान

1. प्रकाश पिता हजारी जाति तेली आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. हरिशंकर पिता हजारी जाति तेली आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. लेहरी बाई पत्नी हजारी जाति तेली आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पिता रामनाथ जाति शर्मा आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतन पिता मांगु जाति सुथार आयु बालिग निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रतन पिता चतरभुज जाति गाडरी आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रामेश्वर पिता जीतू जाति जाट आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मिटु पिता खेमा जाति जाट आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. उंकार पिता पोखर जाति कुमावत आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रतन पिता पोखर जाति कुमावत आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. परथु उर्फ पृथ्वीराज पिता कुका जाति गाडरी आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. उंकार पिता गोकल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी हिंगोरिया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. रतन पिता गोकल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. गोपी पिता रतन जाति गाडरी आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. मांगु पिता रतन जाति गाडरी आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. भंवरलाल पिता गोपी जाति कुमावत आयु बालिग निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपरिस्थिति:- अधिवक्ता श्री अनिल नामधर
एकतरफा

अप्रार्थीगण
प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण



सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 509 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 149, 150, 154, 155 कुल किता 04 कुल रकबा 2.09 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के सह खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 13 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 509 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 149, 150, 154, 155 कुल किता 04 कुल रकबा 2.09 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सोलंका) स्टार
(जमाबन्दी अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़